# न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी:– श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 02/2017

अनवान :–

महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

जयसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपुरोहित, मैसर्स लवली स्वीट्स 4 डी/44 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर

अप्रार्थी

::प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011::

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थीपक्ष – अप्रार्थी स्वयं

**–: निर्णय :–** दिनांक 17.10.2017

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27.10.16 को अप्रार्थीपक्ष श्री जयसिंह पुत्र हमीरसिंह राजपुरोहित (विक्रेता मालिक) मैसर्स– लवली स्वीट्स 4 डी 44 जेएनवी कॉलोनी बीकानेर के यहां उक्त दुकान पर निरीक्षण के दौरान एक स्टील की ट्रे में करीब 05 किलोग्राम कलाकंद (मावा की मिठाई) आम जनता को बिक्री हेतु रखा हुआ था । तदन्तर मिलावट का शक होने पर स्टील की ट्रे में रखी उक्त 5 किलोग्राम कलाकंद (मावा की मिठाई) को एकरूप कर उसमें से 2 किलोग्राम कलाकन्द(मावे की मिठाई) नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 600/– रूपये में खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त कलाकन्द(मावे की मिठाई) को चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सूखी बोतलों में भरकर प्रत्येक बोतल में 40–40 फार्मेलिन की बूंदे डालकर अच्छी तरह हिलाकर विहित प्रकियानुसार बोतलों को सीलबन्द पैक करके मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 23.11.2016 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कलाकन्द (मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

द्वारा सबस्टेण्डर्ड कलाकन्द (मावे की मिठाई) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीपक्ष स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया । तद्नंतर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से कलाकन्द(मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में Quality Characteristics-No.5-B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standdards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 46.0 प्रतिशत का पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां कलाकन्द(मावे की मिठाई) सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है।

अप्रार्थी ने बचाव में निवेदन किया कि मैसर्स लवली स्वीट्स 4 डी 44 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर के नाम से एक छोटी सी मिठाई की दुकान है जिससे अप्रार्थी के परिवार का पालन पोषण होता है, उनके द्वारा कलाकन्द (मावे मिठाई) दूध व चीनी घोट कर तैयार किया जाता है । इसमें दूध व चीनी के अलावा अन्य कोई पदार्थ नहीं मिलाया गया था। कलाकन्द (मावे की मिठाई) तैयार करने में अप्रार्थी द्वारा पूर्ण सावधानी रखी जाती है। अप्रार्थी ने यह भी निवेदन किया है कि वह भविष्य में पूर्ण ध्यान के साथ कार्य करेगा तथा वह स्वयं मिलावट के खिलाफ है। अप्रार्थी ने जानबूझकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद को निरस्त फरमाया जावे। इसके विपरीत प्रार्थी अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब व बहस का खण्डन करते हुवे बताया कि अप्रार्थी के यहां नियमानुसार कार्यवाही की जाकर कलाकन्द (मावे की मिठाई) का सैम्पल लिया गया, जो सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

हमने उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। जिस कलाकन्द (मावे की मिठाई) का सेम्पल लिया गया था, वह कलाकन्द (मावे की मिठाई) अप्रार्थी की दुकान में पाया गया था । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांकः एल.एस. /3276/एक्ट/2016/948 दिनांक 23.11.2016 संलग्न है। इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया कलाकन्द (मावे की मिठाई) Quality Characteristics-No.5- B.R. Reading of extracted fat at 40°C Prescribed standdards as per rule- 40.0 to 44.0 (For Milk Fat) की तुलना में 46.0 पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सबस्टेण्डर्ड होना साबित होता है । लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का कलाकन्द (मावे की मिठाई) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है ।

अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये 50,000/— अखरे रूपये पचास हजार मात्र की शास्ति आरोपित करते है एवं अप्रार्थी को यह हिदायत भी देते है कि भविष्य में वह इस प्रकार के अपराध की पुनरावर्ती नहीं करें। आरोपित शास्ति राशि अप्रार्थी स्वयं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय में उपस्थित होकर एक माह के भीतर राज्य के आय मद 0210 — चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( यशवन्त भाकर )
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलकटर(प्रशासन)
बीकानेर